



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

Regulatory Affairs Unit
15th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14-Ashok Marg, Lucknow 226001.
Phone: (0522) 2286519
Email: arrtariffuppcl@gmail.com
Fax : (0522) 2287860

रेगुलेटरी अफेयर्स इकाई
15वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ 226001
दूरभाष : (0522) 2286519
Email: arrtariffuppcl@gmail.com
फैक्स : (0522) 2287860

No. *139* /RAU/ Subsidy

Dated: *01* April, 2021

The Secretary,
U.P. Electricity Regulatory Commission,
Vidyut Niyamak Bhawan,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow.

Subject: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के विद्युत वितरण कम्पनियों की लिक्विडिटी में सुधार हेतु लिये गये निर्णयों के क्रम में दिनांक 31.03.2020 तक विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाया विद्युत देयों का समायोजन तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2019-20 तक की अवधि के लिये निर्धारित अतिरिक्त सब्सिडी के सम्बन्ध में।

Sir,

Kindly refer to GoUP letter no. 445/ 24-1-21/ 731 (बजट)/2020 dated 05.03.2021 addressed to MD, UPPCL with a copy to Chairman, UPERC on the above subject. This letter also provide clarity on UDAY Scheme amounts treatment.

It is humbly requested to kindly consider the letter and approve appropriate adjustments against earlier disallowances while approving the Discoms True-up for FY 2019-20 and ARR for FY 2021-22.

Thanks.

encl: As above

Yours faithfully,

(Niraj Agrawal)
Chief Engineer (RAU)



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 05 मार्च, 2021

विषय:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों की लिक्विडिटी में सुधार हेतु लिये गये निर्णयों के क्रम में दिनांक 31-03-2020 तक विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाया विद्युत देयों का समायोजन तथा उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2019-20 तक की अवधि के लिए निर्धारित अतिरिक्त सब्सिडी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में ऊर्जा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-958/24-1-2020-731(बजट)/2020, दिनांक 15-07-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

(1) दिनांक 31-03-2020 को सरकारी विभागों पर बकाया रूपये 4268.86 करोड़ के विद्युत देयों की राशि, जिसका विवरण इस शासनादेश के संलग्नक-1 पर स्थित है, शासनादेश संख्या-35/2020/614/24-1-20-902(बजट), दिनांक 30.03.2020 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों को स्वीकृत अनुदान रूपये 4891.72 करोड़ को सम्मिलित करते हुए उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत रू० 39133.76 करोड़ के बन्ध पत्रों के सापेक्ष कुल प्रदत्त अनुदान की धनराशि रू० 29350.32 करोड़ में से समायोजित समझी जायेगी। इस प्रकार, दिनांक 31-03-2020 को सरकारी विभागों पर बकाया रूपये 4268.86 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यू०पी०पी०सी०एल०/विद्युत वितरण कम्पनियों को भुगतानित मानी जायेगी।

(2) उपरोक्त समायोजन के उपरान्त, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों को स्वीकृत अनुदान रूपये 29350.32 करोड़ में से रूपये 25081.46 (29350.32-4268.86) करोड़ की धनराशि शेष बचेगी।

(3) उ०प्र० राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 से 2019-20 तक की अवधि के लिए यू०पी०पी०सी०एल० एवं सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु निर्गत टैरिफ/ट्रू-अप आदेशों में राज्य सरकार पर निर्धारित रूपये 39743.00 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी में से उपर्युक्त प्रस्तर-(2) में उल्लिखित रूपये 25,081.46 करोड़ की धनराशि समायोजन के माध्यम से उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों को भुगतानित मानी जायेगी।

(4) उपर्युक्त समायोजन के उपरान्त रूपये 14,661.54 (39743.00-25081.46) करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों को देय बचेगी।

(5) उदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी रुपये 12,049.49 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 तक रुपये 3571.02 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त मद में रुपये 2200 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध है जिससे उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों को नियमित रूप से सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है। इस धनराशि को सम्मिलित करने के उपरान्त रुपये 6278.47 करोड़ (12,049.49-3571.02-2200.00) की सब्सिडी भुगतान हेतु शेष बचेगी।

(6) प्रस्तर-(4) तथा (5) में उल्लिखित धनराशि क्रमशः रुपये 14,661.54 करोड़ एवं रुपये 6278.47 करोड़, कुल रुपये 20,940.01 करोड़ पूर्णांकित रुपये 20,940.00 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों को आगामी 10 वर्षों में बजट के माध्यम से ऊर्जा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-958/24-1-2020-731(बजट)/2020, दिनांक 15-07-2020 के अनुसार किया जायेगा, जिसको उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा आत्मनिर्भर योजना अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं आर0ई0सी0 एवं पी0एफ0सी0 से लिये गये ऋणों की ब्याज सहित अदायगी में समायोजित किया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 445(1)/24-1-2021 तददिनांक।

अध्यक्ष,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग,
गोमती नगर, लखनऊ।

महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपको इस आशय से प्रेषित कि कृपया भविष्य में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों द्वारा दाखिल किये जाने वाले वार्षिक राजस्व आवश्यकता के टैरिफ/ट्रूअप प्रस्तावों के सम्बन्ध में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों में निर्धारित की जाने वाली राजस्व अनुदान पर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर अनुदान का निर्धारण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 445(2)/2020/24-1-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र० सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), उ०प्र०, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
7. पत्रावली सं०:- 902(बजट)/2018 में रक्षित किये जाने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

सरकारी विभागों की दिनांक 31 मार्च, 2020 तक विद्युत बकाया धनराशि का विवरण

क्र०सं०	विभाग का नाम	उप विभाग	31 मार्च, 2020 तक (अन्तिम) लम्बित बकाये की धनराशि (₹ करोड़ में)	अनुदान मद में समायोजित की जाने वाली धनराशि (₹ करोड़ में)
अ	केन्द्रीय स्तर के सरकारी विभागों की बकाया धनराशि			
1	सिंचाई विभाग	सिंचाई विभाग के लघुडाल नगर तथा मध्यम एवं वृहद नहर के विद्युत संयोजन	3049.69	3049.69
	योग-अ		3049.69	3049.69
ब	स्थानीय स्तर के सरकारी विभागों की बकाया धनराशि			
1	आबकारी	आबकारी	1.62	1.62
2	आवास	आवास	2.99	2.99
3	लघु उद्योग एवं निर्यात	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रत्योत्साहन	0.11	0.11
4	खाने एवं खनिज	खाने एवं खनिज	0.20	0.20
5	खादी एवं ग्रामोद्योग	खादी एवं ग्रामोद्योग	0.52	0.52
6	हथकरघा	हथकरघा	0.68	0.68
7	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	भारी एवं मध्य उद्योग	0.03	0.03
		मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.02	0.02
		योग	0.04	0.04
8	ऊर्जा	ऊर्जा	0.81	0.81
9	रेशम	रेशम	1.16	1.16
10	कृषि	कृषि	12.55	12.55
11	भूमि विकास एवं जल	भूमि विकास एवं जल	35.25	35.25
12	ग्राम्य विकास	ग्राम्य विकास	12.47	12.47
		खण्ड विकास अधिकारी	22.05	22.05
		मुख्य विकास अधिकारी	12.76	12.76
		योग	47.27	47.27
13	पंचायती राज	पंचायती राज	103.73	103.73
14	पशुधन	पशुधन	1.75	1.75
		पशु चिकित्सालय	10.16	10.16
		पशुपालन	0.39	0.39
		योग	12.30	12.30
15	दुग्धशाला विकास	दुग्धशाला विकास	3.48	3.48
16	मत्स्य	मत्स्य	1.08	1.08
17	सहकारिता	सहकारिता	5.50	5.50
		सहकारिता समिति	3.77	3.77
		योग	9.27	9.27
18	कार्मिक	प्रशिक्षण तथा अन्य विकास	0.95	0.95
		लोक सेवा आयोग	0.01	0.01
		योग	0.96	0.96
19	खाद तथा रसद	खाद तथा रसद	1.23	1.23
20	खेल	खेल	3.36	3.36
21	गन्ना	गन्ना विकास	1.25	1.25
		चीनी उद्योग	0.52	0.52
		योग	1.77	1.77
22	कारागार	कारागार	18.38	18.38
23	गृह	गृह	164.70	164.70
24	राजनैतिक पेंशन नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड	नागरिक सुरक्षा	1.06	1.06
		राजनैतिक पेंशन एवं अन्य व्यय	0.00	0.00
		होमगार्ड	0.43	0.43
		योग	1.50	1.50
25	गोपन	गोपन	0.01	0.01
26	चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा एवं परीक्षण	37.50	37.50
		आयुर्वेदिक एवं यूनानी	0.68	0.68
		होम्योपैथिक चिकित्सा	1.92	1.92
		योग	40.10	40.10

27	चिकित्सा	एलोपैथिक चिकित्सा	115.35		115.35
		परिवार कल्याण	11.14		11.14
		सार्वजनिक स्वास्थ्य	114.27		114.27
		योग	240.76		240.76
28	नगर विकास	नगर विकास	20.23		20.23
		स्थानीय विकास	41.20		41.20
		कुम्भ मेला वर्ष 2012-13	0.00		0.00
		माघ मेला वर्ष 2008-09 से 2011-12	0.00		0.00
		योग	61.43		61.43
29	नागरिक उद्दयन	नागरिक उद्दयन	0.69		0.69
30	नियोजन	नियोजन	0.26		0.26
31	निर्वाचन	निर्वाचन	0.60		0.60
32	न्याय	न्याय	17.89		17.89
33	परिवहन	परिवहन	4.67		4.67
34	पर्यटन	पर्यटन	0.26		0.26
35	पर्यावरण	पर्यावरण	0.06		0.06
36	प्रशासनिक सुधार	प्रशासनिक सुधार	4.16		4.16
37	प्रावधिक सुरक्षा	प्रावधिक सुरक्षा	5.06		5.06
38	अल्प संख्यक एवं कल्याण	मुस्लिम वक्फ	0.33		0.33
39	महिला एवं बाल कल्याण	महिला एवं बाल कल्याण	1.35		1.35
40	राजस्व	जिला प्रशासन	38.78		38.78
		देवीय विपत्तियों के संबंध में राहत	0.28		0.28
		राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय	7.17		7.17
		योग	46.24		46.24
41	राष्ट्रीय एकीकरण	राष्ट्रीय एकीकरण	0.00		0.00
42	लोक निर्माण	अधिष्ठान	17.03		17.03
		भवन	6.98		6.98
		विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.16		0.16
		संचार साधन हेतु	0.24		0.24
		संचार साधन सड़के	1.54		1.54
		सेतु निगम	0.06		0.06
		योग	26.01		26.01
43	राज्य सम्पत्ति	राज्य सम्पत्ति	0.10		0.10
44	वन	वन	10.34		10.34
45	वित्त	ऋण सेवा एवं अन्य व्यय	0.01		0.01
		अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन	0.00		0.00
		योजना तथा लेखा प्रशासन	1.30		1.30
		लेखा परीक्षा अल्प बचत जाति	0.93		0.93
		सामूहिक बीमा	0.79		0.79
		योग	3.02		3.02
46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	11.97		11.97
47	प्राथमिक शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा	609.65	}	100.00
48	माध्यमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	69.85		
		राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण	11.14		
		व्यवसायिक शिक्षा	0.00		
		योग	81.00		100.00
49	उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा	10.10		10.10
50	श्रम	श्रम कल्याण	0.73		0.73
		सेवा योजन कार्यालय	0.38		0.38
		योग	1.11		1.11
51	सचिवालय प्रशासनिक	सचिवालय प्रशासनिक	0.60		0.60
52	समाज कल्याण	समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति	11.03		11.03
		एससी एसटी के लिये विशेष	0.44		0.44
		सैनिक कल्याण	2.17		2.17
		योग	13.63		13.63
53	पिछडा वर्ग कल्याण	पिछडा वर्ग कल्याण	0.12		0.12
54	जन जाति कल्याण	जन जाति कल्याण	0.02		0.02
55	सतर्कता	सतर्कता	0.06		0.06
56	सामान्य प्रशासन	सामान्य प्रशासन	2.28		2.28
57	सार्वजनिक उद्यम	सार्वजनिक उद्यम	0.01		0.01
58	सूचना	सूचना	0.74		0.74
59	संस्थागत वित्त	संस्थागत वित्त	0.12		0.12

60	व्यापार कर	व्यापार कर	0.78		0.78
		बिक्री कर	0.78		0.78
		योग	1.57		1.57
61	स्टाम्प एवं पंजीकरण	स्टाम्प एवं पंजीकरण	1.05		1.05
		रजिस्ट्री	1.22		1.22
		योग	2.27		2.27
62	उद्यान	उद्यान विभाग	2.51		2.51
63	मनोरंजन	मनोरंजन एवं बीजकर	0.25		0.25
64	सांस्कृतिक	सांस्कृतिक विभाग	0.01		0.01
65	सिंचाई	सिंचाई निर्माण कार्य	9.94		9.94
		सिंचाई अधिष्ठान	37.80		37.80
		बाण सागर	0.09		0.09
		योग	47.83		47.83
66	कृषि विपणन	मण्डी समिति	12.39		12.39
67	अन्य विभाग		123.30		123.30
	योग-द		1809.81		1219.17
	कुल योग		4859.50		4268.86

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।